

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

भारत सरकार के जपत्र अधिसूचना अनुसार

भाग- 2

संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/MIN/60227/2020

07	परियोजना का नाम/स्कीम का स्थान	
i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii.	जिला	कोरबा
iii.	वन प्रभाग	कटघोरा
iv.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र(हे.)	81.364 हे.
v.	वन की कानूनी स्थिति	राजस्व वनभूमि
	वनभूमि	निरंक।
	राजस्व वन क्षेत्र	81.364 हे.
vi.	हरियाली का घनत्व	<0.4
iv.	प्रजातिवार (वैज्ञानिकनाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचॉई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफएफआरएल-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एफ-4 भी संलग्न किया जाए।	खनन और संबंधित गतिविधियों के लिए मांग की गई वनभूमि राजस्व वनभूमि है एवं मौके परस्थित वनस्पति की सघनता 0.4 से भी कम है। वृक्षों की संख्या लगभग.....है। उपरोक्त भूमि व्यपवर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न होने के कारण आवेदित राजस्व वनभूमि का व्यपवर्तन करना अति आवश्यक है।
v.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र का संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदन शील नहीं है।
vi.	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन का सीमा से अनुमानित दूरी	<1कि.मी.
vii.	क्या यह राष्ट्रीय वन उद्यान,वनजीव अभ्यारण्य,जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है।(यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणी अनुबंधित की जाए)	नहीं है।
viii.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं।(यदि हां तो तत्संबंधि ब्यौरा दें)	नहीं है।
ix.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/परम्पारिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं।(यदि हां तो तत्संबंधि ब्यौरा प्रधिकरण से अनापत्ती प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो दें)	नहीं है।

08	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जॉचे गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है?	अपरिहार्य एवं न्यूनतम।
09	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हां/नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं?	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोरबा क्षेत्र, जिला कोरबा (छ.ग.) अंतर्गत संचालित बगदेवा भूमिगत परियोजना एक भूमिगत खदान होने के कारण वृक्ष विदोहन की आवश्यकता नहीं है अतः प्रतिपूरक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभि निर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र के आस-पास से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवेदक संस्थान का वचनपत्र संलग्न है।
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभि निर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र के आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवेदक संस्थान का वचनपत्र संलग्न है।
iii.	रोपण की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढोंचा आदि	आवेदक संस्थान का वचनपत्र संलग्न है।
iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुलवित्तीय परिव्यय	आवेदक संस्थान का वचनपत्र संलग्न है।
v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभि निर्धारित क्षेत्र उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबंधित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	आवेदक संस्थान का वचनपत्र संलग्न है।
11	जिला उप वनसंरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 8 और में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	पृष्ठ क. 251 में संलग्न है।
12	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा
i.	वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र	4325.44 वर्ग कि.मी.
ii.	वनमण्डल का वनक्षेत्र	2050.90 वर्ग कि.मी
iii.	1980 के बाद कुल वनक्षेत्र के वनोत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	प्रकरण संख्या 32 रकबा 3886.608 हे.
iv.	1980 के जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	2302.560 हे.
क	दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि	निरंक
ख	वनोत्तरभूमि	निरंक
ग	वर्ष 2015-16 तक एक प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	
	वनभूमि	 हे.

•	वनेत्तर	—
13	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उपवनसंरक्षक की विशेष सिफारिशें।	अनुशंसा की जाती है।

तारीख— 04/09/2024

स्थान— कटघोरा (कटघोरा)

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वन मण्डल, जिला कोरबा (छ.ग.)